संख्या-11/2022/वे0आ0-2-507/2022-ई0प0क0सं0-1657884

प्रेषक ,

अपर मुख्य सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त,
अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक : 06 अक्टूबर, 2022**

विषय:- अनेक न्यायिक निर्णयों के कारण तदर्थ, वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गयी सेवाओं को भी पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने की उत्पन्न स्थिति के निराकरण के लिए प्रतिवाद की प्रभावी रणनीति का निर्धारण ।

महोदय,

अनेक न्यायिक निर्णयों के कारण तदर्थ, वर्कचार्ज एवं दैनिक वेतन भोगी के रूप में की गयी सेवाओं को भी पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने की विधिक बाध्यता की स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों के साथ निरन्तर बैठकें आयोजित कर उन प्रकरणों में प्रभावी विधिक प्रतिवाद किये जाने तथा जहां आवश्यक हो स्वयं वित्त विभाग के स्तर से प्रतिवाद किये जाने की सम्भावना पर विचार किया गया है । इस क्रम में कतिपय ऐसे भी न्यायिक निर्णय संज्ञान में आये हैं जो उ0प्र0 शासन के पक्ष में है और इसलिए विभागों के लिए उनके यहां योजित प्रकरणों में प्रतिवाद हेतु उपयोगी हैं ।

2- अतएव वित्त विभाग द्वारा न्यायिक निर्णयों के कारण विनियमितीकरण के पूर्व की तदर्थ, वर्कचार्ज, दैनिक वेतन आदि की सेवाओं को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने वाले तथा उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाले वादों के सम्बन्ध में प्रभावी विधिक प्रतिवाद की कार्यवाही किये जाने की रणनीति के लिए तैयार की गयी टिप्पणी आपको इस आशय से प्रेषित है कि कृपया इसमें उल्लिखित आधारों पर प्रकरणों में प्रतिवाद करने, अपेक्षित सूचनायें वित्त विभाग को प्रेषित करने तथा जिन प्रकरणों में कोई कार्यवाही निर्दिष्ट की गयी है उस कार्यवाही को सम्पादित करने का कष्ट करें।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,
प्रशान्त त्रिवेदी,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-11/2022/वे0आ0-2-507(1)/2022,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
सरयू प्रसाद मिश्र,
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संलग्नक

विनियमितीकरण के पूर्व की तदर्थ , वर्कचार्ज , दैनिक वेतन आदि की सेवाओं को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने वाले तथा उ०प्र० पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2021 को चुनौती देने वाले वादों/निर्णयों के सम्बन्ध में प्रभावी विधिक प्रतिवाद की कार्यवाही किये जाने की रणनीति विषयक टिप्पणी।

वित्त विभाग द्वारा कई बैठकें आयोजित कराकर प्रमुख विभागों से इस सम्बन्ध में सूचना एकत्र करायी गई कि उनके विभागों में मा0 उच्च न्यायालय में कौन से ऐसे लीडिंग वाद योजित किये गये हैं अथवा कौन से लीडिंग निर्णय हुए हैं जिनसे निम्नांकित स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं :-

(1) राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 को चुनौती देने वाले वाद ।

(2) राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम , 2021 के अन्तर्गत ही इसके सेक्सन-2 के अधीन तदर्थ नियुक्तियों की अवधि को पेंशन के लिये आगणन हेतु संज्ञान में लिये जाने सम्बन्धी वाद एवं निर्णय ।

(3) विनियमितीकरण के पूर्व की तदर्थ , वर्कचार्ज तथा दैनिक वेतन की सेवाओं को अन्य आधारों पर पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने सम्बन्धी वाद एवं निर्णय।

(4) किसी सरकारी सेवक को अनियमित रूप से पूर्व प्रभावी तिथि से विनियमित किये जाने के फलस्वरूप उसको इस पूर्व प्रभावी तिथि से पेंशन की देयता निर्धारित करने वाले वाद एवं निर्णय।

2- विभिन्न प्रशासकीय विभागों द्वारा उपर्युक्त प्रस्तर-1 में उल्लिखित वादों एवं निर्णयों की जो स्थिति अवगत करायी गयी है उनका निम्नवत सारांश एवं उनमें अपेक्षित प्रतिवाद की रणनीति नीचे स्पष्ट की जा रही है :-

(क) **राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 को चुनौती देने वाले वाद ।**

(1) यह पाया गया है कि राज्य सरकार का उक्त अधिनियम प्रख्यापित होने के बाद सामान्यतया मा0 उच्च न्यायालय में उक्त अधिनियम के प्राविधानों के प्रत्यक्षत: विपरीत कोई निर्णय नहीं दिया जा रहा है और यह निर्णय दिये जा रहे हैं कि यदि किसी

सरकारी सेवक को उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम , 2021 को चुनौती देना है तो उसके द्वारा पृथक रिट याचिका योजित की जानी चाहिए। इस प्रकार के निर्णय प्रमुखत: उन रिटों में हो रहें हैं जिनमें किसी सरकारी सेवक द्वारा अधिनियम के प्राविधानों के बावजूद मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेम सिंह के प्रकरण में दिये गये निर्णय के लाभ हेतु रिट योजित की जा रही है। मा0 उच्च न्यायालय के उक्तवत दृष्टिकोण के कारण उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम , 2021 को विधिशून्य घोषित किये जाने की कुछ रिट याचिकाएं मा0 उच्च न्यायालय में योजित हो रही हैं और कुछ मा0 सर्वोच्च न्यायालय में।

(2) वित्त विभाग द्वारा आरम्भ की गयी प्रक्रिया के दौरान ही दिनांक 08.09.2022 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर विचार किये जाने संबंधित विषय पर आयोजित बैठक के समय प्रमुख सचिव , सिंचाई विभाग , श्री अनिल गर्ग द्वारा मौखिक रूप से यह अवगत कराया गया कि उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम , 2021 को विधिशून्य घोषित किये जाने की रिटों एवं प्रेम सिंह के प्रकरण में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की उक्त अधिनियम से सम्भावित रूप से होने वाली अवमानना सम्बन्धी सभी रिट याचिकाओं की मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक साथ क्लब कर सुनवाई की जा रही है। उक्त सूचना के क्रम में वित्त विभाग के पत्र दिनांक 19.09.2022 द्वारा सिंचाई विभाग से मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन वाद एवं उनसे संबंधित अभिलेख वित्त विभाग को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया जिसके प्रतिउत्तर में सिंचाई विभाग के पत्र दिनांक 26.09.2022 से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2022 की प्रति प्राप्त हुई है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2022 से यह स्पष्ट हुआ है कि इसमें भूगर्भ विभाग की रिट याचिका संख्या-1458/2020 लीडिंग रिट है तथा अन्य रिटें इसी प्रकार की हैं अथवा अवमानना संबंधी रिटें हैं जो प्रेमसिंह द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-6798/2019 (एस०एल०पी० संख्या-4371/2011) में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 02.09.2019 के सन्दर्भ में योजित हैं तथा जिनमें यह अनुरोध है कि उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम , 2021 से मा0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 02.09.2019 की अवमानना हुई है।

(3) मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 22.08.2022 में जिन विविध रिट याचिकाओं को एक साथ क्लब कर सुनवाई की गयी है तथा जिसमें अगली सुनवाई हेतु प्रकरण पुन: 06 सप्ताह बाद सूचीबद्ध होना है उसकी लीडिंग रिट याचिका संख्या-1458/2020 एवं उससे संबंधित प्रकरणों का इतिहास नीचे दिया जा रहा है।

(4) मा० सर्वोच्च न्यायालय में योजित उक्त मूल वाद भूगर्भ जल विभाग से संबंधित है। उक्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये तथ्यों से यह स्पष्ट हो रहा है कि भूगर्भ जल विभाग के श्री कृष्ण कुमार आदि द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-20486(एस०एस०)/2016 योजित की गयी थी जिसमें यह प्रार्थना की गयी थी कि उनकी वर्कचार्ज/तदर्थ सेवाओं को वेतनवृद्धि , समयमान वेतनमान की व्यवस्था का लाभ एवं ए०सी०पी० के लाभ के लिए संज्ञान में लेने का आदेश प्रदान किया जाय तथा सी०एस०आर० के अनुच्छेद-370 को उस सीमा तक विधिशून्य करार दिया जाय जिस सीमा तक वह वर्कचार्ज एवं तदर्थ कर्मियों को पेंशन के लाभ से वंचित करता है। मा० उच्च न्यायालय ने इस प्रकार की सभी रिट याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए तथा रिट याचिका संख्या-20486/2016 को लीडिंग रिट मानते हुए आदेश दिनांक 03.02.2017 से यह स्पष्ट आदेश दिया कि शासनादेश दिनांक 02.12.2000 से 2012 तक जो भी शासनादेश किये गये उसमें समयमान वेतनमान की व्यवस्था के लाभ के लिए नियमित संतोषजनक सेवा की पूर्व शर्त रखी गयी क्योंकि वर्कचार्ज सेवायें नियमित सेवायें नहीं है और न ही नियमित अधिष्ठान की सेवायें है इसीलिए याचीगण की प्रार्थना स्वीकार नहीं है इसीलिए मा० उच्च न्यायालय ने सभी रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया। कालान्तर में जब मा० सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेम सिंह के प्रकरण में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया तो प्रेम सिंह की सिविल अपील के साथ 150 अन्य विशेष अनुज्ञा याचिका शामिल थी जिसमें भूगर्भ जल विभाग के नारायणदत्त शर्मा व 11 अन्य कार्मिकों की राज्य सरकार के विरूद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-5775/2018 भी सम्मिलित थी। भूगर्भ जल विभाग ने मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखते हुए कार्यालय ज्ञाप 20.11.2019 से भूगर्भ जल विभाग के कार्य प्रभारित अधिष्ठान कार्मिकों की कार्य प्रभावित अधिष्ठान की सेवाओं को पेंशन हेतु जोड़े जाने का आदेश प्रदान किया गया किन्तु जब मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.09.2019 के विरूद्ध राज्य सरकार के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग ने मा० उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका योजित की तो भूगर्भ जल विभाग के अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.11.2019 का क्रियान्वयन स्थगित कर दिया। जब सिंचाई विभाग की पुनर्विचार याचिका भी मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2020 को खारिज कर दी गयी तो पुन: भूगर्भ जल विभाग ने अपने पूर्व के आदेश 24.12.2019 को निरस्त कर दिया (कदाचित

इसी आदेश से कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.11.2019 का स्थगित किया गया था)। जब राज्य सरकार ने उ०प्र० पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश , 2020 प्रख्यापित किया गया तो एक बार पुन: भूगर्भ जल विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञाप दिनांक 20.11.2019 को निरस्त कर दिया क्योंकि उक्त अध्यादेश वर्कचार्ज/तदर्थ सेवाओं को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने से वंचित करता है।भूगर्भ जल विभाग के अराजपत्रित संघ द्वारा इसके विरोध में मा०उच्चतम न्यायालय में रिट याचिका सं-1458/2020योजित की गयी है जिसमें उ०प्र०पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 को Ultra vires घोषित करने की याचना की गयी है। इसी प्रकार भूगर्भ जल विभाग के कर्मियों की एक अन्य अवमानना रिट याचिका संख्या-0000474/2021 भी मा० उच्चतम न्यायालय में योजित है जो उक्त लीडिंग रिट याचिका संख्या-1458/2020 के साथ सुनी जा रही है ।

(5) उपर्युक्त (1) से (4) तक में उल्लिखित वाद के तथ्यों के सन्दर्भ में यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि चूँकि एक ही विषय पर मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका योजित हो जाने पर ऐसी सभी रिट याचिकाएं मा0 सर्वोच्च न्यायालय में ही सुनी जाती हैं अत: वित्त विभाग द्वारा मा0 सर्वोच्च न्यायालय में जिन रिट याचिकाओं को एक साथ क्लब करके सुना जा रहा है उनमें वित्त विभाग को इम्प्लीड कराया जाय तथा मूल प्रश्न संवैधानिक बिन्दु का होने के कारण किसी संविधानविद् अधिवक्ता को आबद्ध कराकर प्रभावी प्रतिवाद किया जाय। यह कार्यवाही वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के स्तर से की जानी अपेक्षित है क्योंकि उक्त अनुभाग द्वारा ही उ०प्र० पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम , 2021 प्रख्यापित कराया गया है ।

(ख) <u>राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 के अन्तर्गत ही इसके सेक्सन-2 के अधीन तदर्थ नियुक्तियों की अवधि को पेंशन के लिये आगणन हेतु संज्ञान में लिये जाने सम्बन्धी वाद एवं निर्णय ।</u>

(1) इस प्रकार के वाद प्रचुरता में आयुष विभाग में याजित हो रहे हैं और निर्णीत हुए है । यद्यपि मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठों द्वारा इस प्रकार के वादों में जो निर्णय दिये जा रहे हैं उनका आधार अन्यान्य विभागों के कर्मचारियों की कतिपय पूर्व की रिटों में मा0 उच्च न्यायालय के एकल पीठों के आदेश हैं तथा एक डिवीजन बेन्च का आदेश है। संदर्भित वर्तमान आदेशों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय इस आधार पर दिये जा रहे हैं कि चूँकि तदर्थ नियुक्ति किये जाते समय तदर्थ नियुक्ति करने के नियमों का पालन किया गया है इसलिए उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 के सेक्सन-2 के अन्तर्गत प्रश्नगत नियुक्ति नियमों के अन्तर्गत की गयी नियुक्ति है । इसलिए ही इस नियुक्ति की तिथि से विनियमितीकरण की तिथि तक की

सेवा भी पेंशनेबुल सेवा हो जाती है। मा0 उच्च न्यायालय की पीठों के वर्तमान निर्णयों के लिए दो लीडिंग निर्णय हैं। पहला महत्वपूर्ण निर्णय मा0 उच्च न्यायालय की इलाहाबाद पीठ में योजित रिट-ए संख्या-9030/2021 अवधेश कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार में दिनांक 06.08.2021 को हुआ है जो एकल पीठ का निर्णय है तथा दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्ड पीठ में योजित रिट याचिका संख्या-ए संख्या-15529/2018 डॉ0 रामसरन त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 06.08.2021 को हुआ है और वह भी एकल पीठ का निर्णय है। इन निर्णयों में मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठों द्वारा यह अवधारित किया है कि चूँकि राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में उपलब्ध आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारियों रिक्ति को भरने में लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली लम्बी समयावधि से बचने के लिये सीधे आवेदन पत्र आमंत्रित कर चयन समिति से चुनाव कराकर नियुक्ति की है इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नियुक्ति के नियमों का पालन नहीं हुआ है। चूँकि तदर्थ नियुक्ति के लिये बनाये गये नियमों का परिपूर्णता में पालन किया गया और मौलिक रिक्ति पर नियुक्ति की गयी इसलिए इस नियुक्ति में प्रयुक्त तदर्थ नौमिनक्लेचर याची को पेंशन के लाभ से वंचित नहीं कर सकता। मा0 उच्च न्यायालय के इन एवं इन पर आधारित अन्य अनेक आदेशों का यद्यपि विभाग द्वारा अवमानना की विधिक बाध्यता में विशेष अपील में होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन अनुपालन किया गया है किन्तु आदेश में विधि के तथ्यों की पूर्णतया त्रुटिपूर्ण निर्वचन हुआ है क्योंकि अध्यादेश/अधिनियम के जिस सेक्सन-2 के अन्तर्गत इस प्रकार की नियुक्ति को पेंशनेबुल नियुक्ति की श्रेणी में मान लिया गया उस सेक्सन-2 में सेवा नियमावली के तहत की गयी नियुक्ति ही अर्हकारी सेवा मानी गयी है और सेवा नियमावली सदैव संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक में राज्यपाल में निहित शक्ति के द्वारा बनायी जाती है। याचियों की नियुक्ति इस प्रकार की नियमावली के प्राविधान के अन्तर्गत नहीं हुई है।

(2) उपर्युक्त जिन दो लीडिंग निर्णयों का उल्लेख किया गया है उनके लिए मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठों द्वारा एक तो उन पूर्व के एकल पीठ के निर्णयों को आधार बनाया गया है जिनका अग्रेतर कोई प्रतिवाद ही नहीं हुआ है तथा इसी के आधार पर यह मान लिया गया है कि यह निर्णय अन्तिमीकृत हो चुके हैं। इस प्रकार का निर्णय रिट याचिका संख्या-61974/2011 डॉ0 अमरेन्द्र नारायण श्रीवास्तव बनाम राज्य व अन्य में दिनांक 01.03.2012 को हुआ है तथा रिट याचिका संख्या-27579/2014 डॉ0 प्रेमचन्द्र पाठक एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में दिनांक 16.05.2014 को हुआ है। दूसरी

रिट में मा0 उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि किसी सरकारी सेवक द्वारा किसी मौलिक पद पर तदर्थ सेवा की गयी हो तो उसकी ऐसी तदर्थ सेवा पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा मानी जानी चाहिए।

(3) आयुष विभाग के वादों में उक्तवत अन्तिमीकृत माने जा चुके निर्णयों को तो आधार बनाया ही गया है एक अन्य निर्णय जिसको प्रमुखता से आधार बनाया गया है वह राज्य सरकार द्वारा मा0 एकल पीठ के एक निर्णय के विरूद्ध योजित विशेष अपील में दिया गया निर्णय है । इस विशेष अपील से संबंधित एकल पीठ का निर्णय अन्य एकल पीठ के निर्णयों से भिन्न था क्योंकि इसमें मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा अपने निर्णय का आधार मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेम सिंह के प्रकरण में दिये गये निर्णय दिनांक 02.09.2019 को बनाया गया । यह प्रकरण खाद्य एवं रसद विभाग के एक गोदाम चौकीदार श्री महेन्द्र सिंह से संबंधित है । श्री महेन्द्र सिंह द्वारा योजित रिट-ए संख्या-8535/2014 महेन्द्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.02.2020 को जो निर्णय दिया उसमें उनकी वर्ष 1981 से 1997 तक की सेवाओं को मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेम सिंह के प्रकरण में दिये गये निर्णय के आधार पर पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा मानने का निर्णय दिया गया। चूँकि मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.02.2020 के पश्चात दिनांक 21.10.2020 को राज्य सरकार द्वारा उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश , 2020 प्रख्यापित किया गया अत: राज्य सरकार द्वारा उक्त अध्यादेश को विशेष रूप से आधार में रखते हुए स्पेशल अपील डिफेक्टिव संख्या-1003/2020 उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव , खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग बनाम महेन्द्र सिंह योजित की गयी। उक्त विशेष अपील में मा0 उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 04.02.2021 से श्री महेन्द्र सिंह को अध्यादेश के ही सेक्सन-2 के अधीन इसलिए लाभ प्रदान किया क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय ने यह माना कि सेक्सन-2 से स्वत: प्रतिवादी की सेवाएं पेंशन हेतु अर्हकारी हैं। मा0 उच्च न्यायालय ने इसके लिए यह मान लिया कि अध्यादेश के सेक्सन-2 में जब अर्हकारी सेवा का टेम्परेरी या परमानेंट पद पर सर्विस रूल के हिसाब से नियुक्ति है तो याची को इसका लाभ मिलना चाहिए क्योंकि उसकी नियुक्ति टेम्प्रेरी पोस्ट पर हुई थी। मा0 उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय के लिए राज्य सरकार की स्वीकारोक्ति को भी अभिलिखित किया है कि राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि याची की नियुक्ति टेम्प्रेरी पोस्ट पर हुई थी तथा नियुक्ति दिनांक 04.09.1981 से वर्ष 1997 तक इक टेम्परेरी पोस्ट पर रही है। मा0 उच्च न्यायालय के इस निर्णय में 02

महत्वपूर्ण विधिक बिन्दुओं की अनदेखी हुई है एवं निर्वचन की त्रुटि भी हुई है एक-निर्णय याची की स्वीकार्यता के आधार पर दिया गया है जिसका निर्वचन प्रतिवादी के पक्ष में विधि/नियम के तत्वों की त्रुटिपूर्ण व्याख्या से किया गया है , दो-मा0 उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को संज्ञान में नहीं लिया कि भले ही याची ने टेम्प्रेरी पोस्ट के विरूद्ध कार्य किया किन्तु उसकी नियुक्ति चूंकि सेवानियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत नहीं हुई थी इसलिए ऐसी सेवा उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अध्यादेश , 2020 जो बाद में अधिनियम 2021 बना , के सेक्शन-2 से आच्छादित नहीं होती ।

(4) यद्यपि आयुष विभाग द्वारा उक्त प्रकार के कई निर्णयों का अनुपालन विशेष अपील/अपीलों के अन्तिम निर्णय के अधीन किया गया है तथापि यह महत्वपूर्ण है कि आयुष विभाग को अब कई विशेष अपीलों में सफलता भी मिली है और इनमें मा0 उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने न केवल एकल पीठ के निर्णयों को आस्थगित किया है बल्कि अपने आदेश में एकल पीठ के निर्णयों के आधार को संज्ञान में लेते हुए यह टिप्पणी भी की गयी है कि उक्त सेक्सन-2 के अनुसार केवल वही सेवाएं आच्छादित होती हैं जो सेवा नियमावली के तहत की गयी नियुक्ति के कारण की गयी हो तथा इससे कोई तदर्थ सेवा आच्छादित नहीं होती है। मा0 उच्च न्यायालय ने जिन विशेष अपीलों में एकल पीठ के निर्णयों को स्थगित किया है वह हैं , स्पेशल अपील संख्या-165/2022 राज्य सरकार बनाम गुलाम सर्वर , संख्या-198/2022 राज्य सरकार बनाम डॉ0 अखलॉक अहमद , संख्या -206/2022 राज्य सरकार बनाम डॉ0 विजय कुमार मिश्रा , संख्या-292/2022 राज्य सरकार बनाम डॉ0 खालिद माजिद जॉफरी एवं विशेष अपील संख्या-232/2022 राज्य सरकार बनाम डॉ0 मन्सूद अहमद ।

(5) उपर्युक्त वादों , उनके निर्णयों तथा विशेष अपील के आस्थगन आदेशों के तथ्यों से यह स्पष्ट है कि उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 के सेक्सन-2 के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय की एकल पीठों द्वारा तदर्थ सेवाओं को विनियमित माने जाने के जो भी निर्णय दिये गये हैं वह सेक्सन-2 के गलत निर्वचन पर आधारित हैं और सभी विभागों द्वारा इस प्रकार के वादों में उपर्युक्त संदर्भित विशेष अपीलों के आस्थगन आदेशों का उपयोग करना चाहिए। यहां तक कि जो वाद एकल पीठ में योजित हों उनमें भी इसी आधार पर प्रतिवाद किया जाना चाहिए। यह भी आवश्यक है कि वित्त विभाग के स्तर से मा0 उच्च न्यायालय से यह अनुरोध किया जाय कि जिन भी प्रकरणों में उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम 2021 के सेक्सन-2 के अन्तर्गत तदर्थ सेवाओं को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने का बिन्दु

विचारणीय हो उन सभी प्रकरणों को मा0 उच्च् न्यायालय एक विशेष पीठ /बड़ी पीठ में क्लब कराकर सुनवाई करें जिससे निर्णयों में एक रूपता रहे तथा बार-बार अवमाननावाद की स्थितियां न उत्पन्न हों । यह कार्यवाही वित्त (सामान्य)अनुभाग-3 के स्तर से की जायेगी तथा संबंधित विभाग अपने-अपने विभागों के इस प्रकार के प्रकरणों की सूची उक्त अनुभाग को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करा देंगे।

(6) वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को उपर्युक्त कार्यवाही में मा0 उच्च न्यायालय की ही एकल पीठ द्वारा निर्णय , रिट याचिका संख्या - ए संख्या-9396/2021 डॉ0 सुषमा चन्देल बनाम राज्य सरकार एवं इसी प्रकार की अन्य दो रिट याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए दिया गया , आदेश दिनांक 25.08.2021 भी संज्ञान में लेना आवश्यक होगा क्योंकि उक्त निर्णय में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकरण के विविध पहलुओं का विश्लेषण किया गया है तथा इस बात का भी विश्लेषण किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम , 2021 की स्थिति में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रेम सिंह के प्रकरण में दिये गये निर्णय की विधिक स्थिति किस रूप में देखी जानी चाहिए। निष्कर्ष में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सक्षम प्राधिकारी को निम्न 05 बिन्दुओं पर विचार करने का निर्देश दिया गया है और यदि इनके अन्तर्गत प्रकरण आता है तो तदनुसार निर्णय लिया जाय :-

A. Whether the service rendered in temporary, ad hoc, or officiating capacity was one which was discharged against a permanent or temporary post;

B. Whether the appointment was made in accordance with the provisions made in the prevalent service rules;

C. Whether such service can be excluded notwithstanding the provisions made in the proviso to Rule 3(8) of the 1961 Rules;

D. Whether the service rendered in a work-charged establishment followed by regularisation can be legally excluded while computing qualifying service;

E. Whether such service was performed in connection with work which was regular and perennial and the engagement in a work charged establishment was a mere ruse to deny benefits of long service.

मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय के उक्त बिन्दु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भले ही मा0 उच्च न्यायालय ने बिन्दु-ए में तदर्थ सर्विस टेम्परेरी या परमानेन्ट पोस्ट के विरूद्ध है या नहीं , इसे संज्ञान में लेने की बात कही किन्तु जो सबसे बड़ी बात कही वह

बिन्दु-बी में है कि क्या नियुक्ति सर्विस रूल्स के अन्तर्गत की गयी थी। यद्यपि दोनों ही कथन परस्पर विरोधी भी हैं किन्तु यह इस दृष्टि से उपयोगी है कि इनसे इस बात का समर्थन मिलता है कि यदि सर्विस रूल के अन्तर्गत नियुक्ति नहीं है तो वह अर्हकारी सेवा नहीं हो सकती। इस निर्णय में किये गये विवेचन मा0 सर्वोच्च न्यायालय में उ0प्र0 पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा तथा विधिमान्यकरण अधिनियम , 2021 की विधिशून्यता हेतु विचाराधीन प्रकरणों में भी उपयोगी है क्योंकि मा0 उच्च न्यायालय ने प्रेम सिंह के प्रकरण एवं अधिनियम के प्राविधानों पर महत्वपूर्ण मन्तव्य व्यक्त किया है।

(ग) <u>विनियमितीकरण के पूर्व की तदर्थ , वर्कचार्ज तथा दैनिक वेतन की सेवाओं को अन्य आधारों पर पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माने जाने सम्बन्धी वाद एवं निर्णय।</u>

उपर्युक्त - (क) एवं (ख) की प्रकृति के प्रकरणों के अलावा कतिपय विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से यह भी स्पष्ट हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा कतिपय ऐसी भी रिट याचिकायें निर्णीत की गयी हैं जिनमें पहले याचिओं के इस अनुतोष के बिन्दु को स्वीकार किया गया कि चूंकि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 02.12.2000 में समयमान वेतनमान की व्यवस्था का लाभ देने के लिए केवल पद पर की गयी सेवा का उल्लेख है और सेवा चाहे तदर्थ रूप में की गयी हो चाहे वर्कचार्ज के रूप में इसलिए इस प्रकार की सेवा भी समयमान वेतनमान की व्यवस्था के लाभों को अनुमन्य किये जाने हेतु संज्ञान में ली जानी चाहिए। बाद में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इन निर्णयों को आधार बनाकर इस प्रकार के आदेश दिये गये हैं कि जब उक्त प्रकार के आदेशों में तदर्थ या वर्कचार्ज की सेवा समयमान वेतनमान की व्यवस्था के लाभों के लिए अर्हकारी सेवा मान ली गयी है तब इस प्रकार की सेवा पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा भी मानी जानी चाहिए। विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना मे चूंकि इस प्रकार के लीडिंग निर्णयों की पहचान नहीं हो पायी है अत: प्रत्येक विभाग द्वारा अपने विभाग के इस प्रकार के निर्णयों के सन्दर्भ अविलम्ब एक सप्ताह के अन्तर्गत वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग -2 को उपलब्ध करा दिये जायेंगे जिससे वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग -2 द्वारा इस प्रकार के प्रकरणों को एक साथ क्लब करा कर सुनवाई कराये जाने हेतु वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 को अपेक्षित सहयोग प्रदान किया जा सके।

(घ) <u>किसी सरकारी सेवक को अनियमित रूप से पूर्व प्रभावी तिथि से विनियमित किये जाने के फलस्वरूप उसको इस पूर्व प्रभावी तिथि से पेंशन की देयता निर्धारित करने वाले वाद एवं निर्णय।</u>

(1) विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं एवं विचार-विमर्श से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि शासन स्तर से अथवा किसी अधीनस्थ प्राधिकारी के स्तर से बहुत सारे सरकारी सेवकों का विनियमितीकरण किसी पूर्व प्रभावी तिथि से कर

दिया गया है अर्थात जिस तिथि को विनियमितीकरण का आदेश हुआ है उससे भिन्न किसी पूर्व की तिथि से । इसका परिणाम या तो इस रूप में सामने आया है कि मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिकाओं में पूर्व प्रभावी तिथि से विनियमितीकरण को देखते हुए उस तिथि से लेकर विनियमितीकरण का आदेश जारी होने की तिथि तक की सेवाओं को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा माना जा रहा है या विभाग स्तर से अथवा अधीनस्थ प्राधिकारियों के स्तर से ही इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही की जा रही है। अस्तु सभी विभागों के संज्ञान में नियमों की सही व्यवस्था तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के सन्दर्भ निम्नवत इसलिए लाये जा रहे हैं ताकि उनके द्वारा विभागों में योजित होने वाले वादों में प्रभावी प्रतिवाद के लिए इनका उपयोग किया जाय तथा साथ ही जहां कहीं भी पूर्व प्रभावी तिथि से विनियमितीकरण किया गया हो उसे तत्काल निरस्त भी किया जाय :-

(i) प्रथम महत्वूपर्ण तथ्य यह है कि भले ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विनियमितीकरण की नियमावली प्रख्यापित की गयी है या पूर्व की नियमावली में इस आशय का संशोधन किया गया है कि किस कटऑफ डेट तक तदर्थ रूप से नियुक्त सरकारी सेवकों का विनियमितीकरण किया जायेगा किन्तु विनियमितीकरण किये जाने हेतु सबसे आवश्यक यह है कि जिस संवर्ग के पद पर विनियमितीकरण किया जा रहा हो उसकी सेवानियमावली अनिवार्य रूप से विद्यमान हो। उल्लेखनीय है कि विनियमितीकरण नियमावली में ही यह प्राविधान है कि विनियमितीकरण की तिथि से संबंधित सरकारी सेवक को संगत सेवा नियमों के अधीन नियुक्त किया गया माना जाता है । इस हेतु उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तरर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 का नियम-6 एवं उ0प्र0 (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली 1979 का नियम-6 अवलोकनीय है। इस नियम से यह स्पष्ट है कि विनियमितीकरण तभी हो ही सकता है जब जिस पद पर जिस तिथि को विनियमितीकरण किया जा रहा है उस तिथि को उस पद की सेवानियमावली विद्यमान हो।

(ii) द्वितीय महत्वपूर्ण तथ्य उक्त नियमावलियों के नियम-7 का प्राविधान है जिसमें यह प्राविधान किया गया है कि इन नियमावली के अनुसार चयन के पश्चात कोई व्यक्ति केवल नियुक्ति के आदेश के दिनांक से ज्येष्ठता का हकदार होगा और सभी मामलों में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के पूर्व संगत सेवा नियमों या यथास्थिति , नियमित विहित प्रक्रिया के अनुसार , नियुक्त व्यक्तियों के नीचे रखा जायेगा। इस नियम की व्यवस्था से स्पष्ट है कि कोई भी विनियमितीकरण पूर्व प्रभावी तिथि से मान्य ही नहीं है अपितु अनियमित है।

(iii) मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने राशिमणि मिश्रा एवं अन्य बनाम राज्य सरकार (2021 एस0सी0सी0 ऑनलाईन एस0सी0 509) में अपने आदेश में यह अवधारित किया है कि चूंकि नियमावलियों के उक्त नियम -6 एंव 7 के प्राविधान के अनुसार विनियमितीकरण के आदेश जारी होने की तिथि से ही विनियमितीकरण प्रभावी होता है अत: उसी तिथि से कोई विनियमितीकृत व्यक्ति संबंधित संवर्ग में ज्येष्ठता सूची में स्थान पाने का हकदार है अर्थात उसके पूर्व के नियुक्त उससे वरिष्ठ होंगे।

(2) उपर्युक्त-(1) के वाद एवं नियमों की व्यवस्था प्रशासकीय विभागों के संज्ञान में लाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका भी संबंध उस अवधि को पेंशन हेतु अर्हकारी सेवा न माने जाने से है जिस अवधि को मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयों में माना जा रहा है और वह भी इसलिए क्योंकि इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण कार्यवाही शासन अथवा अधीनस्थ प्राधिकारियों द्वारा ही की गयी हैं। विनियमितीकरण की ऐसी सभी त्रुटिपूर्ण कार्यवाहियों के प्रकरण प्र0वि0 द्वारा तत्काल वित्त एवं कार्मिक विभाग को प्रस्तुत किये जायेंगे भले ही यह कार्यवाहियां मा0 न्यायालय के किसी आदेश के सन्दर्भ में की गयी हों। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस प्रकार की कार्यवाही का परिणाम राज्य सरकार पर प्रतिकूल उपाशय के रूप में सामने आ रहा है तथा अनेक कार्मिकों द्वारा अन्य प्रकरणों में इसे दृष्टांत बनाया जा रहा है। अस्तु कार्मिक और वित्त विभाग के परामर्श से इस सभी त्रुटिपूर्ण विनियमितीकरण की कार्यवाहियों को निरस्त किया जाना है और जहां यह कार्यवाही मा0 न्यायालय के किसी निर्णय के सन्दर्भ में की गयी होगी वहां यह देखा जायेगा कि क्या उक्त निर्णय की मंशा के अनुरूप विनियमितीकरण हुआ है । यदि मा0 न्यायालय के किसी निर्णय की मंशा के अनुरूप भी हुआ है तो भी यह देखा जायेगा कि क्या संबंधित न्यायिक निर्णय का प्रतिवाद अभी भी किया जा सकता है।